



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1943 (श10)
(सं0 पटना 831) पटना, वृहस्पतिवार, 30 सितम्बर 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर 2021

अधिसूचना संख्या 12/2021-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 142, दिनांक 30 सितम्बर 2021— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (इस अधिसूचना में इसके बाद जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है), की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वस्तु जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्षक, शीर्षक या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो के अंतर्गत आती है, को उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत उस पर लगाए जाने वाले उतने राज्य कर से छूट देते हैं जो की उक्त सारणी के कॉलम (4) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित राशि से अधिक है, यथा:-

सारणी

क्रम संख्या	अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	30	टोसीलिजुमैब	शून्य
2	30	एम्फोटेरिसिन बी	शून्य
3	30	रेमडेसिविर	2.5%
4	30	हेपरिन (एंटी-कौयगुलांट)	2.5%
5	30	इटोलिजुमाब	2.5%
6	30	पॉसकोनाज़ोल	2.5%
7	30	इनफ्लिक्सिमैब	2.5%
8	30	बामलानिविमाब और एतेसेविमाब	2.5%
9	30	कासिरिविमाब और इम्देवीमाब	2.5%
10	30	2-डिओक्सी-डी-ग्लूकोज	2.5%
11	30	फ़ेविपिराविरि	2.5%

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी और 31 दिसंबर, 2021 तक लागू रहेगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 2017/21-(खंड-13)12)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

30 सितम्बर 2021

एस० ओ०. 142, दिनांक 30 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-13)12)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

The 30th September 2021**Notification No. 12 /2021– State Tax (Rate)**

S.O. 142, dated 30th September 2021— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as “the said Act”), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from so much of the state tax leviable thereon under section 9 of the said Act, as is in excess of the amount calculated at the rate as specified in corresponding entry in column (4) of the aforesaid Table, namely:-

Table

Sl. No.	Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1	30	Tocilizumab	Nil
2	30	Amphotericin B	Nil
3	30	Remdesivir	2.5%
4	30	Heparin (anti-coagulant)	2.5%
5	30	Itolizumab	2.5%
6	30	Posaconazole	2.5%
7	30	Infliximab	2.5%
8	30	Bamlanivimab & Etesevimab	2.5%
9	30	Casirivimab & Imdevimab	2.5%
10	30	2-Deoxy-D-Glucose	2.5%
11	30	Favipiravir	2.5%

2. This notification shall come into force from the 1st day of October, 2021 and remain in force up to and inclusive of the 31st December, 2021..

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-13) 12)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 831-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>